



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2014/फाल्गुन 28, 1935

No. 90]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2014/PHALGUNA 28, 1935

निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम
अधिसूचना

मुम्बई, 28 अगस्त, 2013

(सामान्य संशोधन विनियम, 2013)

निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम सामान्य (संशोधन) विनियम 2013.—निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम के बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम विनियम, 1961 में निम्नानुसार संशोधन किया है :

1. इन विनियमों को निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम सामान्य (संशोधन) विनियम, 2013 कहा जाएगा ।
2. ये विनियम 28 अगस्त 2013 से लागू होंगे ।
3. विनियम 17 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :
 - (i) विनियम 17 के खंड (i) के आंकड़े ₹ 5,000 और ₹ 2,500 के स्थान पर क्रमशः ₹ 10,000 और ₹ 5,000 पढ़ा जाए :
 - (ii) विनियम 17 के खंड (ii) के आंकड़े ₹ 2,500 के स्थान पर ₹ 5,000 पढ़ा जाए ।

कुमुदिनी हाजरा, निदेशक

[विज्ञापन III/4/असाधारण/31/13]

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE
CORPORATION
NOTIFICATION

Mumbai, the 28th August, 2013

(General (Amendment) Regulations, 2013)

Deposit Insurance and Credit Guarantee

Corporation General (Amendment) Regulation, 2013.—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 50 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961), the Board of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation with prior approval of Reserve Bank of India is pleased to make the following amendments to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Regulations, 1961.

1. These Regulations may be called the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General (Amendment) Regulations, 2013.
2. These Regulations shall come into force from the date August 28, 2013.
3. The following amendments be made to Regulation 17:
 - (i) In clause (i) of Regulation 17 the figures ₹ 5,000 and ₹ 2,500 shall be substituted by the figures ₹ 10,000 and ₹ 5,000 respectively.
 - (ii) In Clause (ii) of Regulation 17 the figures ₹ 2,500/- shall be substituted by the figure ₹ 5,000/-

KUMIDINI HAJRA, Director

[ADVT. III/4/Exty./31/13]